न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 69/2009

1. रामेश्वर
2. सुरजाराम
3. मनीराम

पि0 ख्याली जाति जाट निवासी नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)।

4. हजारी पुत्र मघा राम
5. नन्दी बेवा पतराम
6. लक्ष्मीनारायण
7. देवी लाल
8. कुरडा राम
9. महावीर
10. जगदीश

पि0 पतराम जाति जाट निवासी नथवानियां त0 नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)।

..... अपीलांटस

–: बनाम :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. रामचन्द्र पुत्र श्री हरदयाल जाति जाट सा0 नथवानियां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राज0)। ––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.01.2009 व 16.03.2009 द्वारा उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा अनवानी वाद ख्याली बनाम स्टेट।

उपस्थित :–
श्री मदन सिंह चोटिया अधिवक्ता अपीलाण्टस।
श्री कुलदीप सिंह बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक – 08.12.2017

1. इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक वादप्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी ग्राम मुंसरी बारानी के तन में स्थित खसरा नंबर 72 मिन की 13.911 है0 भूमि है जो वादी/अपीलांट की घैरू खातेदारी में दर्ज है जिसे नौतोड कर काबिल काश्त बनाया गया था। वादीगण ने वाद में गैर खातेदार से खातेदार घोषित करवाने हेतु घोषणा का अनुतोष चाहा जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2009 एवं डिक्री दिंनांक 16.03.2009 द्वारा निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमे दिनांक 17.12.2015 को अपील अपीलांट खारिज की गई। अधिवक्ता अपीलांट

ने दिनांक 12.02.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अपील मे अपीलांट अधिवक्ता वकालतनामा पेश किया जा चुका था परन्तु अपीलांट अधिवक्ता को सुना नही गया अतः अपील पुनः रिस्टोर की जावें। प्रार्थना पत्र पर पत्रावाली पेशी मे ली जाकर निर्णय दिनांक 17.12.15 निरस्त किया गया।

2. उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह ठहराया है कि गैर खातेदार कतिपय शर्तों के अलावा अधिकांश मामलों में खातेदार के तुल्य है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये है। अपीलांटस विवादित भूमि पर 50 वर्षों से गैर खातेदार है जिन्हें कानून के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपील मे पूर्व मे दिनांक 17.12.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि राजस्व विधि लागू होने के प्रारम्भ से ही कतिपय श्रेणी के आवंटियों को गैर खातेदार दर्ज किया जाता है तथा आवंटन की शर्तों की पूर्ति करने पर गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। आवंटन की शर्तों का पालन होने व देय राशि जमा करवाने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार उद्घोषणा के माध्यम से प्राप्त नहीं किये जा सकते। हाजा न्यायालय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत है कि गैर खातेदारी का अंकन विशेष श्रेणी के आवंटियों के नाम दर्ज किया जाता है तथा समस्त देय राशि व आवंटन की शर्तों की पालना होने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है।

वादीगण ने कहीं यह कथन नहीं किया है कि वादीगण पूर्व में खातेदार थे व बाद में गलती से गैर खातेदार दर्ज हुए है। वादीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यदि उनका कब्जा काश्त पुराना है तो फिर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी के रूप में किस प्रकार आया। अपीलार्थीगण को यदि यह भूमि आवंटित हुई है तो उन्हें आवंटन की शर्ते पूरी होने पर सक्षम अधिकारी के समक्ष खातेदारी प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। उद्घोषणा के माध्यम से गैर खातेदारी से खातेदारी का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त पारित निर्णय के विरूद्ध कोई नये तथ्य प्रस्तुत नही किये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2009 व डिक्री दिनांक 16.03.2009 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़